बिहार सरकार

परिवहन विभाग

अधिसूचना

पटना, दिनांकः– 10/10/2025

सं0सं0–05/स्था0–(DTO)–30/2013 (खंड–1) 8475 /सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना सं0–18805, दिनांक–05.10.2025 द्वारा परिवहन विभाग के 05 जिला परिवहन कार्यालय में जिला परिवहन पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन किया गया है। पदस्थापित पदाधिकारी का नाम एवं जिला निम्नवत् हैः–

क्र0 सं0	पदाधिकारी का नाम, कोटि क्रमांक एवं गृह जिला	वर्तमान पदस्थान	नवपदस्थापन
1	श्री बलवीर दास, 635/24, भागलपुर	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, मधेपुरा।	जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा।
2	श्री नवीन कुमार पाण्डेय, 736/24, झारखंड	जिला पंचायत राज पदाधिकारी, नवादा।	जिला परिवहन पदाधिकारी, नवादा।
3	श्रीमती अन्नु कुमारी, 605/24, बेगूसराय	जिला आपूर्ति पदाधिकारी, वैशाली।	जिला परिवहन पदाधिकारी, बांका।
4	श्री सुबीर रंजन, 239/24, मुंगेर	अनुमंडलीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, मधेपुरा सदर।	जिला परिवहन पदाधिकारी, कटिहार।
5	रवि कुमार आर्य, 615/24,पूर्वी0 चम्पारण	कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद, बडहिया, लखीसराय	जिला परिवहन पदाधिकारी, दरभंगा।

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा–213 (1) तथा बिहार मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 1994 की धारा–3 का प्रयोग करते हुए उपरोक्त कंडिका 1 से 5 में अंकित पदाधिकारियों को उनके जिले हेतु जिला परिवहन पदाधिकारी एवं करारोपण पदाधिकारी की शक्तियाँ उनके प्रभार ग्रहण की तिथि से प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,

(कृत्यानंद रंजन)

सरकार के संयुक्त सचिव।

ंधित/ई–मेल

ज्ञापांकः–05/स्था0–(DTO)–30/2013 (खंड–1) 8475 **/पटना, दिनांक** 10/10/2025

प्रतिलिपिः– अधीक्षक राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना (द्वारा संयुक्त सचिव, ई–गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना) को सी0डी0 सहित सूचनार्थ एवं राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित/महालेखाकार, बिहार, पटना/वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग, बिहार, पटना/माननीय मुख्यमंत्री के आप्त सचिव/मुख्य सचिव, बिहार के आप्त सचिव/प्रमंडलीय आयुक्त, सहरसा, भागलपुर पूर्णियाँ, गयाजी एवं दरभंगा/जिला पदाधिकारी, मधेपुरा, बांका, कटिहार नवादा एवं दरभंगा/संयुक्त–सह–सचिव, क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार, सहरसा, भागलपुर, पूर्णियाँ, गयाजी एवं दरभंगा/उप सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार, मधेपुरा, बांका, कटिहार, नवादा एवं दरभंगा/माननीय मंत्री, परिवहन विभाग के आप्त सचिव/सचिव के आप्त सचिव, परिवहन विभाग/राज्य परिवहन आयुक्त के आप्त सचिव/विभाग के सभी

पदाधिकारी/संबंधित जिला के जिला परिवहन पदाधिकारी/संबंधित जिला के मोटरयान निरीक्षक/संबंधित जिला के प्रवर्तन अवर निरीक्षक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

2. श्री रंजन कुमार सिंह, वरीय तकनीकी निदेशक, वैज्ञानिक–F, एन0आई0सी0 (NIC), बिहार, पटना से अनुरोध है कि निर्गत अधिसूचना में अंकित कंडिका–1 से 5 को जिला परिवहन पदाधिकारी, मधेपुरा, बांका, कटिहार, नवादा एवं दरभंगा के कार्य हेतु वाहन/सारथी कार्य के लिए User ID/Password निर्गत करने की कृपा की जाय।

10.x.25

सरकार के संयुक्त सचिव।